सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित पुलिस गश्ती कराने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि कोकर इंडस्ट्रियल एरिया सदर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद शाम के बाद क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। व्यापारियों ने क्षेत्र की खराब स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर भी शिकायत की है। उनका कहना है कि जिडाया की ओर से कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन अधिसंख्य लाइटें अब खराब हो चुकी हैं। शाम के बाद कई हिस्सों में अंधेरा रहने से सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। व्यापारियों का कहना है कि खराब लाइटों को जल्द दुरुस्त कराया जाना चाहिए।

रूम भी आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको घंटे के हिसाब से चार्ज देना होगा। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि पूर्व में हाई कोर्ट ने राज्य में हुक्का बार को बंद करने के लिए सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया था।

सरकार ने कानून बनाकर हुक्का बार बंद करने की बात कही है, लेकिन राजधानी में लगभग हर रेस्टोरेंट में हुक्का परोसा जाता है। हुक्का और सिगरेट पीने का चलन बच्चों में ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में वह अपने परिवार सहित अन्य लोगों से बचने के लिए रेस्टोरेंट में कमरा बुक कराते हैं। यहां पर भी बिना किसी आइडी के ही घंटे के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं और उन्होंने कोई रोकने वाला भी नहीं है।

यदि आवासीय परिसर में जमीन मालिक ने लाज या गेस्ट हाउस बना रखा है और इससे परेशानी हो रही है तो हमें वाट्सएप करें। आपका नाम व नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा :-

8877887722
9471550066
9471171708

हाई कोर्ट ने रोकने के कई बार दिया है आदेश: अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि हुक्का बार, सिगरेट, गुटखा पान मसाला को लेकर पूर्व में कोई नियम नहीं था। लेकिन इसके बढ़ते व्यापार और बच्चों को नशे की लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया और राज्यों को भी इसके अनुसार बनाने का निर्देश दिया।

यूको बैंक UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) **राँची मुख्य शाखा**

भारत सरकार का उपक्रम | सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **यूको बैंक, राँची मुख्य शाखा** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) के अधीन और धारा 13(12) तथा संपठित प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्रीमती पलक पाण्डेय** पति श्री अभय कुमार पाण्डेय एवं **श्री अभय कुमार पाण्डेय** पिता कपिल मुनि पाण्डेय बी-178/ए, ब्लॉक-बी अली विहार सरिता विहार दक्षिण दिल्ली-110076 को सूचना में उल्लेखित रकम राशि रु. **35,96,855.03 (रुपये पैंतीस लाख छियानवे हजार आठ सौ पचपन एवं तीन पैसे मात्र)** तथा अग्रिम ब्याज एवं अन्य प्रभार 60 दिनों के भीतर पुनर्सदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना दिनांक **04 जुलाई 2026** को जारी किया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, की नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा की अधोहस्ताक्षरी नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर **28 सितम्बर 2026** से कब्जा कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतदद्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया गया और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार यूको बैंक, राँची मुख्य शाखा के प्रभार के अधीन **रु. 35,96,855.03 (रुपये पैंतीस लाख छियानवे हजार आठ सौ पचपन एवं तीन पैसे मात्र)** 29-11-2025 तक (31-07-2025 तक के ब्याज के साथ) तथा अग्रमि ब्याज एवं अन्य खर्च सहित देय है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय क्षेत्र **"श्री बालाजी एन्क्लेव"** के प्रथम तल पर स्थित जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 915 वर्ग फीट है, फ्लैट संख्या 102, तथा ग्राउंड फ्लोर/बेसमेंट में एक कार पार्किंग स्थान, भूमि में 400 वर्ग फीट का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा सहित। उक्त सम्पत्ति की स्वामिनी श्रीमती पलक पाण्डेय, पति श्री अभय कुमार पाण्डेय हैं, जिसका विवरण **विक्रय विलेख संख्या** 170/160, दिनांक 11.01.2020 में दर्ज है। उक्त फ्लैट आर.एस. खाता संख्या 135, प्लॉट संख्या 326, सब-प्लॉट संख्या 326/भाग, कुल 24 डिसमिल में से 19.59 डिसमिल क्षेत्रफल वाली भूमि पर निर्मित है, जो ग्राम – बरगावां, थाना – नामकुम, थाना संख्या 216, जिला – राँची, झारखण्ड राज्य में स्थित है। **फ्लैट की सीमाएँ : उत्तर:** फ्लैट संख्या 103, **दक्षिण:** फ्लैट संख्या 101, **पूर्व:** सीढ़ियाँ एवं लिफ्ट, **पश्चिम:** खुला स्थान

समस्त सम्पत्ति का भाग, आर.एस. खाता संख्या 135, प्लॉट संख्या 326, सब-प्लॉट संख्या 326/भाग, कुल 24 डिसमिल में से 19.59 डिसमिल क्षेत्रफल, स्थित ग्राम – बरगावां, थाना – नामकुम, थाना संख्या 216, जिला – राँची, राज्य झारखण्ड में स्थित है। **भूमि की सीमाएँ : उत्तर:** मोस्ट किल्यिन, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** बुधु मुंडा एवं अन्य

दिनांक : 28.09.2026 | स्थान : राँची

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

NATIONAL HEALTH MISSION

विश्व हृदय दिवस

29 सितम्बर 2026

"एक भी धड़कन ना चूके"

"Don't Miss a Beat"

isposes of pleas by Muslim side after te settlement with municipal body

tices Subodh Abhyankar and Jai Kumar Pillai disposed of the petitioners' separate appeals after they stated that a settlement had been reached between them and the Ujjain Municipal Corporation regarding the removal of a portion of the mosque. It also ruled that the Ujjain Municipal Corporation's assurances and interim notice in the Shahi Masjid case would be binding on the civic body.

A lawyer for the Ujjain Municipal Corporation avoided using the word "settlement" during the hearing, but stated that the appellants had agreed on Sunday to remove the portions obstructing the proposed road construction themselves, and had begun doing so on Monday morning. PTI

यूको बैंक UCO BANK RANCHI MAIN BRANCH
भारत सरकार का उपक्रम (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas,
The undersigned being the authorised officer of the **UCO Bank, Ranchi Main Branch** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **4th July 2026** calling upon the Borrower **Mrs. Palak Pandey** W/O Mr. Abhay Kumar Pandey And **Mr.Abhay Kumar Pandey** S/O Kapil Muni Pandey B-178/A, Block-B Ali Vihar Sarita Vihar South Delhi-110076 to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 35,96,855.03 (Rupees Thirty Five Lakh Ninety Six Thousand Eight Hundred Fifty Five And Three Paise Only)** and Further Interest and other Charges within **60** days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him U/S 13(4) of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **28 September 2026.**
The borrower in particular and the public in general in hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, Ranchi Main Branch for an amount of **Rs. 35,96,855.03 (Rupees Thirty Five Lakh Ninety Six Thousand Eight Hundred Fifty Five And Three Paise Only)** as on 29-11-2025 (with interest up to 31-07-2025) and Further interest and other charges.
The Borrower's attention is invited to theprovision of Sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to edeem the secured asssets.

Description of Immovable Property

Residential area comprised in the 1st floor having super built up area 915 square feet, Being flat/flats No 102 In **SHREE BALAJEE ENCLAVE** and one car parking space in Ground Floor/Basement with undivided proportionate share of land 400 sq ft. Owner of the property is Mrs. Palak Pandey W/O Mr. Abhay Kumar Pandey **Vide Sale Deed No 170/160 Dated 11/01/2020.** Constructed over the land of R.S Khata No 135, Plot No 326, Sub Plot No 326/Part Area 19.59 Decimal out of 24 Decimal Situated at village Bargawan, P.S Namkum, Thana No 216 District Ranchi State Jharkhand. **Bounded by: North:** Flat No.103, **South:** Flat no.101, **East:** Stairs And Lift, **West:** Open Space
All that piece and parcel of land of R.S Khata No 135, Plot No. 326, Marked as Sub Plot No 326/Part Ares 19.59 Decimal out of 24 decimals, Situated at village Bargawan, P.S Namkum, Thana No.216, District Ranchi State Jharkhand, **which butted and bounded as follows: North:** Most Christan, South: Road, **East:** Road, **West:** Budhu Munda & Others

Date : 28.09.2026 | Place : Ranchi **Authorised Officer, UCO Bank**

कार्यालयः जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज

राजमहल अंचल अंतर्गत भोलसरी तालाब, दाग नं0–376 का डाक की सूचना।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक 1325 दिनांक 11.10.2023 के कंडिका–04 एवं झारखण्ड सरकार, सहकारिता विभाग के पत्रांक 1410, दिनांक–29.06.2011 के कंडिका–08 के आलोक में राजमहल अचल अंतर्गत भोलसरी तालाब, दाग नं0–376, रकवा–6.85 एकड, वार्षिक सुरक्षित जमा राशि मो0–40,000/–(चालीस हजार) रूपये की अल्पकालीन बंदोबस्ती वर्ष–2026–27 से 2028–29 तक तीन वर्षो के लिए सीमित डाक के माध्यम से राजमहल प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0, राजमहल एवं मोकिमपुर पंचायत गंजेटिक मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0 के साथ की जा सकती है बशर्ते दोनो समिति अहर्ता पूर्ण करती हो। वर्तमान में दोनो समिति बंदोबस्ती हेतु अहर्ता नही रखते है। इस कारण से उक्त जलकर की अल्पकालीन बंदोबस्ती विभागीय परिपत्र–114 दिनांक–18.01.1992 के आलोक में खुले डाक के माध्यम से किये जाने हेतु तिथि निर्धारित की जाती है:–

डाक की निर्धारित तिथि व समय :–15.10.2026 को 12:00 बजे मध्याह्न
डाक का स्थान :– अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के कार्यालय कक्ष।

डाक में भाग लेने हेतु शर्तें:–

1. डाक में भाग लेने वाले अपना आधार कार्ड मूल प्रति के साथ भाग लेंगे एवं वार्षिक सुरक्षित जमा राशि का दस प्रतिशत रकम प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराकर डाक में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
2. उच्चतम डाकवक्ता द्वारा डाकी गयी राशि के आलोक में पूरी राशि एकमुश्त जमा करना होगा।
3. बंदोवस्ती के उपरांत उच्चतम डाकवक्ता को डाक राशि का निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क नियमानुसार जमा करना होगा।
4. डाक से संबंधित विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
5. यदि बंदोवस्ती अवधि के दौरान नियमानुसार किसी तालाब/जलकरों में सुरक्षित जमा राशि में बढोतरी होती है, तो बंदोबस्तधारी समिति को बढोतरी राशि जमा करना होगा।